रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2012/माघ 7, 1933
No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2012/MAGHA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 54(अ).– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1994 और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा कम्प्यूटर आपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उसका संबंध आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी "क" आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' और कम्प्यूटर आपरेटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क' आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' और कम्प्यूटर आपरेटर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क', आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' और कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2.) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में समनुदेशित है;

(ख) ''काडर'' से क्रमशः आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी -क, आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी -ख और कम्प्यूटर आपरेटर अभिप्रेत है। प्रत्येक मंत्रालय इन नियमों के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट पदों की कुल संख्या में समाविष्ट आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-क, आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-ख और कम्प्यूटर आपरेटर की अपनी-अपनी श्रेणियों में आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-क, आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-ख और कम्प्यूटर आपरेटर का अपना स्वयं का पृथक और स्वतंत्र काडर होगा:

(ग) ''सरकार'' से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''आयोग'' से कर्मचारी चयन आयोग या इन नियमों के अंतर्गत आने वाले कोई अन्य भर्ती करने वाले अभिकरण जिसको सरकार गठित करे, अभिप्रेत है;

(ङ) ''महालेखा नियंत्रक'' से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, का महालेखा नियंत्रक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत महालेखा नियंत्रक द्वारा इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किए गए अपर महालेखा नियंत्रक या संयुक्त महालेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक भी हैं;

(च) ''मंत्रालय'' से भारत सरकार का कोई मंत्रालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत इन नियमों से उपाबंध में विनिर्दिष्ट मंत्रालय के कोई विभाग या कोई कार्यालय भी हैं;

(छ) ''अनुसूची'' से इन नियमों में उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) ''सेवा'' से केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') अभिप्रेत है;

(झ) ''संगठित लेखा सेवा'' जिसके अंतर्गत सरकार के लेखा और संपरीक्षा विभाग, रक्षा लेखा, रेल लेखा, डाक-तार लेखा की लेखा सेवाएं और दूर संचार लेखा भी है।

3. पद - संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड-वेतनमान: उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान होंगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं: - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व - आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-क, आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-ख और कम्प्यूटर आपरेटर का भारत में कहीं भी सेवा करने का दायित्व होगा।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बातत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क'	100*(2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 ; 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता **(ii) कंप्यूटर पर प्रति घंटा 8000 (आठ हजार) की डिप्रैशन की आंकड़े प्रविष्टि की गति।**	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे

जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष* उप लेखा नियंत्रक - सदस्य** ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य * जहां विभागीय प्रोन्नति समिति होती है वहां यदि मंत्रालय में लेखा नियंत्रक नहीं है तो उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष हो सकेगा । ** यदि उप लेखानियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो, यथास्थिति, उप लेखानियंत्रक के बदले में सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी हो सकेंगे।	लागू नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
2. आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख'	कुछ नहीं * (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनअनुसचिवीय	वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 1; 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान में बैचलर डिग्री है और कम्प्यूटर पर प्रति घंटा 8000 (आठ हजार) की डिप्रैशन की आंकड़े प्रविष्टि की गति हो। टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई एसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष* उप लेखा नियंत्रक - सदस्य**	लागू नहीं होता

ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य * जहां विभागीय प्रोन्नति समिति होती है वहां यदि मंत्रालय में लेखा नियंत्रक नहीं है तो उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष हो सकेगा । ** यदि उप लेखानियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो, यथास्थिति, उप लेखानियंत्रक के बदले में सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी हो सकेंगे।	

1	2	3	4	5	6	7
3. कम्प्यूटर आपरेटर	3 * (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

8	9	10
आवश्यक: (क) भौतिक या गणित या सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या अर्थशास्त्र या कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित मास्टर डिग्री और कम्प्यूटर कार्यक्रमण का कार्यसाधक ज्ञान; या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बार्ड से भौतिक या गणित या सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित पोस्ट बी.एस.सी.डिप्लोमा। वांछनीय:	नहीं	दो वर्ष

(क) कम से कम दो उच्चस्तरीय भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान; (ख) एमएस - डी औएस/जेनिकस पर्यावरण के अधीन साफ्टवेयर पैकेजों से सुपरिचित।		

11	12
(i) 50 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (iii) (i) और (ii) दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम छह वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 1; 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्ष नियमित सेवा की है वांछनीय: प्रतिनियुक्ति पर आने वाले ऐसे पदधारी जिनके पास उपरोक्त स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई एसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष* उप लेखा नियंत्रक - सदस्य** ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य * जहां विभागीय प्रोन्नति समिति होती है वहां यदि मंत्रालय में लेखा नियंत्रक नहीं है तो उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष हो सकेगा । ** यदि उप लेखानियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो, यथास्थिति, उप लेखानियंत्रक के बदले में सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी हो सकंगे।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-11020/5/2010/एमएफ. सीजीए/आरआर]

सोनाली सिंह, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

उपाबंध

आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क', आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रणी 'ख', और कंप्यूटर आपरेटर की स्वीकृत संख्या

क्रं. सं.	मंत्रालय/विभाग	पदों की संख्या		
1.	2.	3.		
		आकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क'	आकड़े प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'ख'	कंप्यूटर आपरेटर
1.	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	24	-	3
2.	केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	76	-	-
	कुल	100	-	3

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 54(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service Data Entry Operator Grade A and Grade B (Group 'C' Posts)Recruitment Rules,1994 and Central Civil Accounts Service Computer Operator (Group 'C' Posts)Recruitment Rules,1995, in so far as they relate to the posts of Data Entry Operator Grade A, Data Entry Operator Grade B and Computer Operator except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade A, Data Entry Operator Grade B and Computer Operator in the Central Civil Accounts Service, namely :-

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Data Entry Operator Grade A, Data Entry Operator Grade B and Computer Operator Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing authority" shall have the same meaning as assigned to in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(b) "Cadre" mean the cadre of Data Entry Operator Grade-A, Data Entry Operator Grade-B and Computer Operator respectively. Each Ministry shall have its own separate and independent cadres of the Data Entry Operator Grade-A, Data Entry Operator Grade-B and Computer Operator comprising total number of posts as specified in the Annexure to these rules, in the respective grades of the Data Entry Operator Grade-A, Data Entry Operator Grade-B and Computer Operator;

(c) "Government" means the Government of India;

(d) "Commission" means the Staff Selection Commission or any other recruiting agency for the cadres covered by these rules, which the Government may constitute;

(e) "Controller General of Accounts" means the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and includes Additional Controller General of Accounts or Joint Controller General of Accounts or Deputy Controller General of Accounts or Assistant Controller General of Accounts authorised by the Controller General of Accounts to exercise powers under these rules;

(f) "Ministry" means a Ministry in the Government of India and includes Departments of the Ministry or an Office specified in the Annexure to these rules;

(g) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(h) "Service" means the Central Civil Accounts Service (Group 'C');

(i) "Organised Accounts Services" include the Accounts Services in the Departments of Audit and Accounts, Defence Accounts, Railway Accounts, Post and Telegraph Accounts and Telecom Accounts in the Government.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.**— The number of posts, their classification and pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualification, etc.**— The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

5. **Liability for service in any part of India.**— The Data Entry Operator Grade-A, Data Entry Operator Grade-B and Computer Operator shall be liable to serve in any part of India.

6. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale.
	1	**2**	**3**	**4**
1.	**Data Entry Operator Grade A.**	100*(2010) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay Rs. 2400/-
	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service(Pension) Rules,1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
	5	**6**	**7**	**8**
	Not applicable.	Not applicable.	Between 18 and 27 years age(relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit	(i) 12th Class Pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) Should possess Data entry speed of 8000(eight thousands) Key depressions per hour on **Computer.**

		shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
9	**10**	**11**	**12**
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13			**14**
Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering confirmation) Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- **Chairman*** Deputy Controller of Accounts- **Member**** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-**Member** * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental promotion Committee			Not applicable.

	takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available			
	1	**2**	**3**	**4**
2.	**Data Entry Operator Grade B.**	Nil*(2010) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band -1 Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs. 2800/-.
	5	**6**	**7**	**8**
	Non- selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	9	**10**	**11**	**12**
	Not applicable.	Not applieable.	By promotion failing which by transfer on deputation.	**Promotion :** Data Entry Operator Grade A possessing minimum five years regular service in the grade. **Deputation:** Officials of Central Government. i) holding analogous post on regular basis ; or ii) with five years regular service in the Pay Band Rs. 5200-20200(PB 1) with Grade Pay of Rs. 2400; or

			iii) with six years regular service in the Pay Band Rs. 5200-20200(PB 1) with Grade Pay of Rs. 1900 and possessing Degree of Bachelor of Arts/Science from a recognised University and Data entry speed of 8000(eight thousands) Key depressions per hour on **Computer.** **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service.
13			**14**
Group 'C' Departmental Promotion Committee Controller of Accounts/Deputy Controller General of Accounts-**Chairman*** Deputy Controller of Accounts- **Member****			Not applicable.

	Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-**Member** * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.			
	1	**2**	**3**	**4**
3.	**Computer Operator.**	3*(2010)*subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band- 2 Rs. 9300-34800 +Grade Pay Rs. 4200.
	5	**6**	**7**	**8**
	Non- selection.	Not applicable.	Between 18 and 27 years age(relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	**Essential :** a) Master's Degree in Physics or Mathematics or Statistics or Operations Research or Economics or Computer Application with First Class or at least 60% marks in aggregate and working knowledge of computer programming; or b) Bachelor's Degree in Physics or Mathematics or

			Statistics or Operations Research or Economics with First Class or at least 60% marks in aggregate and post BSc. Diploma in Computer Science from a recognised University or Board with First Class or at least 60% marks in aggregate. **Desirable :** (a) Thorough knowledge of at least two high level languages; (b) Familiarity, with software packages under MS-DOS/ Xenix environment.
9	**10**	**11**	**12**
No.	Two years.	i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission. ii) 50% by promotion iii) failing by both (i) and (ii) by transfer on deputation.	**Promotion** : Data Entry Operator Grade B possessing minimum six years regular service in the grade. **Deputation:** Officials of Central Government. i) holding analogous post on regular basis; or

			ii) with six years regular service in the Pay Band Rs. 5200-20200(PB 1) with Grade Pay of Rs. 2800; or iii) with eight years regular service in the Pay Band Rs. 5200-20200(PB 1) with Grade Pay of Rs. 1900. **Desirable**: The official coming on deputation should possess educational qualifications prescribed for direct recruits in column 8 above. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service.
13			**14**

Group 'C' Departmental Promotion Committee Controller of Accounts/Deputy Controller General of Accounts-**Chairman*** Deputy Controller of Accounts- **Member**** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer- vacancies * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.	Not applicable.

[F. No. A-11020/5/2010/MF. CGA/RR]

SONALI SINGH, Jt. Controller General of Accounts

ANNEXURE

SANCTIONED STRENGTH OF DATA ENTRY OPERATOR GRADE A, DATA ENTRY OPERATOR GRADE B AND COMPUTER OPERATOR .

Sl.No.	Ministry/Deptt.	No.of posts		
1	2	3		
		Data Entry Operator Grade-A	Data Entry Operator Grade-B	Computer Operator
1.	Central Pension Accounting Office	24	nil	3
2.	Central Board of Excise and Customs	76	nil	nil
	TOTAL	100	nil	3

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.